

# व्यापारी से 20 लाख की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

## गिरफ्तार आरोपी ने विदेशी एप से व्यापारी से फिरौती मांग कर धमकी दी थी

सादलपुर, (निर्स)। लगभग दस दिन पूर्व एक व्यापारी से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने तथा परिवार के एक सदस्य की हत्या करने तथा पुलिस को सूचना देने पर फिरौती की राशि डबल 40 लाख रुपए देने की धमकी के आरोप में पुलिस ने रविवार को मामले का खुलासा करते फिरौती मांगने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ थाना पुलिस ने व्यापारी की ओर से 20 अप्रैल को मामला दर्ज करवाने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक जय यावत के निर्देशन में गठित टीम ने सादलपुर निवासी आरोपी सिकंदर खान पुत्र सलीम खान को गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झाड़्डिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने कुवैत के मोबाइल नंबर से तकनीकी रूप से उपयोग में लेकर स्थानीय व्यापारी को धमकी देकर 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की तथा पुलिस को सूचना देने पर फिरौती की राशि डबल 40 लाख रुपए की मांग कर व्यापारी के परिवार के एक सदस्य को को जान से मारने की धमकी दी थी। जिस पर पुलिस ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर इंटरनेट से पता लगाया कि उसके पास एक साइबर कैंपनी है।

पुष्पेंद्र सिंह झाड़्डिया ने बताया कि व्यापारी के मोबाइल नंबर पर फिरौती के लिए आई कॉल के मोबाइल नंबर प्राप्त किए तथा साइबर सेल से उक्त नंबर का रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जिस पर आरोपी की लोकेशन कुवैत की होनी पाई। गठित टीम द्वारा अलग-अलग मोबाइल कंपनियों तथा डाटा सेंटर से संपर्क का रिपोर्ट प्राप्त किया तथा पुलिस



व्यापारी से फिरौती मांगने के आरोपी सिकंदर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

द्वारा तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपी द्वारा काम में लिया जा रहा मोबाइल नंबर इंटरनेट सेटलाइट के द्वारा जनरेट किया गया है जो कुवैत का होना पाया गया आरोपी की टावर लोकेशन भी कुवैत मिली। पुलिस ने लगातार दस दिनों तक मेहनत कर मामले से जुड़ी एक से एक कड़ियां जोड़कर कंपनियों से संपर्क कर रिपोर्टें लीया तथा पता चला कि उक्त नंबर इंटरनेट डाटा सर्वर कंपनी द्वारा होस्ट किया गया है तथा जो कंपनी कोलकाता और रांची में है। जिसका मुख्य कार्यालय दुबई में है, जो पूरे विश्व में विभिन्न मोबाइल ऐप को सेटलाइट से इंटरनेट डाटा उपलब्ध करवाती है, जिस पर टीम द्वारा

संबंधित कंपनी से संपर्क का रिपोर्ट प्राप्त किया गया तथा आरोपी की पहचान की जाकर और आरोपी सिकंदर खान को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी सिकंदर खान पूर्व में विदेश में नौकरी करता था जहां उसके जानकारी अन्य लोगों से हो रही थी तथा आरोपी द्वारा शहर में फिरौती मांगने का प्लान तैयार किया गया तथा कुवैत में अपने दोस्त से संपर्क कर अपने पिता से विदेश में बात करने के लिए बहाना बनाकर ऑनलाइन मोबाइल कंपनी का डॉलर खरीद करवाया। तथा आरोपी ने भारत में अपने स्वयं के मोबाइल नंबर पर उपयोग में लिया तथा कुवैत का मोबाइल नंबर जनरेट करते हुए

व्यापारी के मोबाइल नंबर पर कॉल कर फिरौती की मांग की तथा फिरौती नहीं देने पर परिवार की एक सदस्य को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी द्वारा बड़े ही शांति तरीके से विदेश का मोबाइल नंबर जनरेट कर कॉल की गई थी। जिसकी टावर लोकेशन भी कुवैत की ही प्राप्त हो रही थी। जिसकी जानकारी आरोपी को पूर्व से थी तथा धमकी देकर शहर में घूमता रहा उसे लग रहा था कि पुलिस द्वारा उसकी पहचान की जानी संभव नहीं है।

पुलिस ने उक्त घटना से पहले 11 अप्रैल को स्थानीय निवासी डॉ. मनमोहन गुप्ता और उनकी पत्नी को मोबाइल से फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। जिसमें

■ पुलिस को सूचना देने पर फिरौती की राशि डबल 40 लाख रुपए देने की भी धमकी दी थी

■ आरोपी पूर्व में विदेश में नौकरी करता था, जहां उसकी जानकारी अन्य लोगों से हो रही थी

पुलिस ने अज्ञात आरोपी की पहचान कमलकांत जांगड़ निवासी सादलपुर के रूप में की जाकर गिरफ्तार किया जो डॉ. दंपति का कार चालक था तथा आरोपी को जेल भिजवा दिया गया। वहीं 20 अप्रैल को गिरफ्तार आरोपी ने स्थानीय कृषि उपज मण्डी का व्यापारी मुरारीलाल गोयल अग्रवाल निवासी वार्ड 9 सादलपुर को धमकी देकर 20 लाख रुपए फिरौती देने तथा पुलिस को सूचना देने पर फिरौती की राशि 40 लाख रुपए देने की मांग की तथा परिवार के एक सदस्य की हत्या करने की भी धमकी दी।

रविवार को मामले का खुलासा करते फिरौती मांगने वाले अपराधी के मनसूबे पर पानी फेर कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में पवन कुमार कानि व नवीन कुमार कानि की विशेष भूमिका रही। कार्यवाही में पुष्पेंद्र झाड़्डिया पु.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़, पप्पुनर उनि., पवन कुमार कानि., सुरेश कुमार कानि., नवीन कुमार कानि. व सुरेन्द्र कुमार हैंड कानि. साईबर सेल चूरू शामिल रहे।

# बांसवाड़ा व अजमेर जिले में प्रशासन ने बाल विवाह रुकवाया

## चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की सूचना पर प्रशासन ने कार्यवाही की

बांसवाड़ा/अजमेर, (निर्स)। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की सूचना पर प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए बाल विवाह रुकवाया। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक मनीष खदाव ने बताया कि कॉल सेंटर जयपुर से अज्ञात कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि अरथुना ब्लॉक के हड़मंतिया गांव में 15 वर्षीय बालिका का विवाह होने वाला है। जिस पर जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर अरथुना तहसील के क्षेत्र से प्राप्त बाल विवाह की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन ने अरथुना तहसीलदार नरेंद्र चौधरी, आईसीडीएस विशाल व सीडीपीओ हेमेंद्र को सूचना दी।

चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना पर प्रशासन ने पटवारी जर्जी पटेल, आईसीडीएस सुपरवाइजर इंद्रबाला, वार्डपंच अर्जुन सिंह, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता विमला राणा, पुलिस थाना अरथुना हेड कांस्टेबल नरेंद्र भाटी व स्टाफ की टीम मौके पर भेजी। टीम ने मौके पर पहुंचकर परिवारों से बातचीत की व लड़कों के उग्र संबंधित दस्तावेज मांगे। दस्तावेज में लड़की की जन्मतिथि 1 जनवरी 2009 के अनुसार उम्र 15 साल 4 माह पायी गयी जो की नाबालिग

की श्रेणी में आती है। लड़की की बारात भी आ चुकी थी। इस पर लड़के के भी उग्र संबंधित दस्तावेजों की जांच की गयी जिस पर लड़के की जन्मतिथि 25 मई 2002 के अनुसार लड़का बालिग पाया गया। टीम ने मौका पर्चा रिपोर्ट बनाकर लड़की के परिवारों से हस्ताक्षर करवाते हुए उन्हें पाबंद किया कि जब तक लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाती तब तक विवाह नहीं करे। सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर दें। उन्होंने बताया कि कॉल करने वाले व्यक्ति को पहचान गृह रक्षी जाएगी। कार्यवाही में चाइल्ड हेल्पलाइन के कलावती, कामिनी भारद्वाज, पूजा चौबीसा व राहुल बुनकर ने सहयोग प्रदान किया।

चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक मनीष खदाव ने बताया कि लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम के बच्चों का अगर विवाह हो रहा है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है जो कानूनन अपराध है ऐसे विवाह की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर दें। उन्होंने बताया कि कॉल करने वाले व्यक्ति को पहचान गृह रक्षी जाएगी। कार्यवाही में चाइल्ड हेल्पलाइन के कलावती, कामिनी भारद्वाज, पूजा चौबीसा व राहुल बुनकर ने सहयोग प्रदान किया।

चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक मनीष खदाव ने बताया कि लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम के बच्चों का अगर विवाह हो रहा है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है जो कानूनन अपराध है ऐसे विवाह की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर दें। उन्होंने बताया कि कॉल करने वाले व्यक्ति को पहचान गृह रक्षी जाएगी। कार्यवाही में चाइल्ड हेल्पलाइन के कलावती, कामिनी भारद्वाज, पूजा चौबीसा व राहुल बुनकर ने सहयोग प्रदान किया।

चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक मनीष खदाव ने बताया कि लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम के बच्चों का अगर विवाह हो रहा है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है जो कानूनन अपराध है ऐसे विवाह की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर दें। उन्होंने बताया कि कॉल करने वाले व्यक्ति को पहचान गृह रक्षी जाएगी। कार्यवाही में चाइल्ड हेल्पलाइन के कलावती, कामिनी भारद्वाज, पूजा चौबीसा व राहुल बुनकर ने सहयोग प्रदान किया।

चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक मनीष खदाव ने बताया कि लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम के बच्चों का अगर विवाह हो रहा है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है जो कानूनन अपराध है ऐसे विवाह की सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर दें। उन्होंने बताया कि कॉल करने वाले व्यक्ति को पहचान गृह रक्षी जाएगी। कार्यवाही में चाइल्ड हेल्पलाइन के कलावती, कामिनी भारद्वाज, पूजा चौबीसा व राहुल बुनकर ने सहयोग प्रदान किया।

कुख्यात तस्कर भुट्टाराम गिरफ्तार

जोधपुर, (कांस)। भोलवाड़ा में वर्ष 2021 में दो कॉन्स्टेबल की हत्या में फरार चले रहे राजू फौजी के साथी कुख्यात तस्कर कुख्यात तस्कर भुट्टाराम उर्फ भूपेंद्र विश्णोई को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भुट्टाराम को पुलिस पिछले तीन साल से तलाश कर रही थी। इस पर राजस्थान के अलग-अलग जिलों में करीब 75 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। भुट्टाराम की सबसे ज्यादा तलाश भोलवाड़ा में दो कॉन्स्टेबल हत्याकांड मामले में थी। इसके अलावा उस पर एनडीपीएस के व जानलेवा हमले के भी कई मामले दर्ज हैं। बोरानाथ एसीपी नरेंद्रसिंह देवड़ा ने बताया कि जोलियासी के आथुणी ढाणी निवासी भुट्टाराम उर्फ भूपेंद्र विश्णोई को पुलिस ने धवा से गिरफ्तार कर लिया है। वह अपने परिवार के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया था। जिसकी सूचना पुलिस को मिलने के बाद में रास्ते में घेरकर पकड़ लिया। पुलिस को भुट्टाराम के पास हथियार होने का भी संदेह था। पुलिस भी तैयारी के साथ पकड़ने पहुंची थी।

पाटनवाटी क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल संकट

पाटन, (निर्स)। पाटनवाटी क्षेत्र में जलस्तर नीचे चले जाने से पेयजल संकट बढ़ गया है, हालांकि प्रशासन ने कई ग्राम पंचायतों में वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करते हुए टैकरो से पेयजल सप्लाई शुरू की है, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था के बाद भी पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

मौणा की नांगल, छाजा की नांगल, धांधेला में पेयजल संकट बढ़ने लगा है, ऐसे में लोगों को महंगे दामों में टैकर से पानी मंगवाकर अपनी प्यास बुझाना पड़ रही है। बोरिंग एवं कुओं का जलस्तर नीचे चला गया है ऐसे में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। राजस्थान पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त चालक फूलचंद वज्र मीणा की नांगल ने बताया कि गांव में पानी की गंधीर समस्या पैदा हो गई है, पीने का पानी टैकरो से मंगवाना पड़ रहा है। गांव में पेयजल सप्लाई के दो पाइंट है एक बोरवेल तथा दूसरा कुआं, इससे पानी की सप्लाई होती है। बोरवेल का पानी नीचे चले जाने से समस्या पैदा हो गई है, वहीं कुएं से हो रही सप्लाई लाइन को राजीग लाइन में पानी के कनेक्शन होने से कुएं का पानी टंकी में नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण गांव में पेयजल संकट पैदा हो गया है। इस बारे में जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता को भी अवगत करवाया गया, परंतु राजीग लाइन में हो रहे कनेक्शन के प्रति कोई सख्त कदम नहीं उठाया। समय रहते प्रशासन ने अगर प्थान नहीं दिया तो लोगों का मई एवं जून माह में बुरा हाल हो सकता है।

■ ग्रामीणों को महंगे दामों में टैकर मंगवाकर बुझाना पड़ रही है प्यास

■ मीणा की नांगल, छाजा की नांगल, धांधेला में पेयजल संकट बढ़ने लगा

# लिव इन रिलेशनशिप में रह रही युवतियों का देहशोषण

श्रीगंगानगर, (निर्स)। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली दो युवतियों ने अपने कथित प्रेमियों और उनके परिचितों के खिलाफ पुरानी आबादी थाने में दुष्कर्म के मामले दर्ज कराए हैं। पहिले मामले में पुरानी आबादी की पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके कथित पति अमनदीप ने उसका देह शोषण किया और परिचित गुड्डि देवी पत्नी नीरू बाल्मीकि ने मारपीट की। इन दोनों ने उसे जान से मारने का प्रयास भी किया।

दूसरे प्रकरण में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि लिव इन रिलेशनशिप के साथ रहने वाले करणी मारंग निवासी मोनु पुत्र वेदपाल ने उसका वर्ष 2016 से अब तक देह शोषण किया। इसके अलावा जान से मारने के लिए फिनायल पिला दिया। इस दौरान उसके बीस हजार रुपए चोरी कर ले गया। इन दोनों प्रकरणों की जांच पुरानी आबादी सीआई गोविन्द सिंह बगण को दी गई है।

उधर एक अन्य मामले में सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर एक युवती को छवि भूमिल करने पर जवाहरनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जवाहरनगर सीआई देवेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ब्लॉक परिचय की युवती की ओर से दर्ज कराए गए इस मामले

■ युवतियों ने अपने कथित प्रेमियों और उनके परिचितों के खिलाफ मामले दर्ज कराए

में आरोप लगाया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसे पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर परेक्षण कर रहा था। उसे ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी तो उसने ब्लॉक करने की बजाय युवती के नाम पर इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बना डाली और उसमें युवती के नाम का गलत इस्तेमाल करने लगा।

आस्पतिजनक फोटो और वीडियो क्लिप निकालकर उसके नाम से वायरल करने लगा है। इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर युवती ने ऐसा नहीं करने की बात कही तो उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। जांच अधिकारी सीआई ने बताया कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के मुख्यालय को ईमेल करके पीड़िता को आईडी ब्लॉक करने और आईपी सर्वर से बनावी गई आईडी को पुलिस के साथ साझा करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि यह जानकारी आने के बाद ही आरोपी के बारे में पता चल सकेगा।

# नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप

भोलवाड़ा, (निर्स)। एजाम देने स्कूल गई एक 17 साल की नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर अपहरण करने की रिपोर्ट छात्रा के पिता ने दर्ज कराई है। उन्होंने गांव के दो युवकों पर बेटी के अपहरण और गलत करने की आशंका जताई है। मामला बिजौलिया थाना क्षेत्र का है। एक व्यक्ति ने अपनी 17 साल की बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया है।

पुलिस को दो रिपोर्टों में बताया कि उसकी बेटी मंगलवार को सुबह साहस बजे एजाम देने स्कूल गई थी। दोपहर तीन बजे जब वो घर लौटी तो उसे परिवार के अन्य लोगों ने बताया की बेटी स्कूल से वापस नहीं लौटी है। पिता ने स्कूल और मिलने जुलने वालों से पूछताछ की तो उसे पता लगा कि उसकी बेटी का विकास रंगर और युवराज रंगर अपहरण कर ले गए। पिता ने अपनी बेटी के सफलतापूर्वक साथ में कर लिया गया। इसमें 6 विशेष प्रकार के एयर बैग का उपयोग किया गया। सैन्य सुत्रों के मुताबिक, भारतीय सेना और हवाई डिलिवरी एवं विकास प्रतिष्ठान (एडीआरआई) ने सैन्य लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए यह संयुक्त परीक्षण किया। वायु सेना के सी-17 कालिबर ने महाजन के घोरों के बीच बनाए ड्रॉप दर्ज कर जांच शुरू की।

# भारी सैन्य उपकरणों को सैनिकों तक पहुंचाने का सफल अभ्यास

बीकानेर, (निर्स)। यहाँ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध के दौरान भारी सैन्य उपकरणों को रेलीले और दुर्गम स्थानों में सैनिकों तक पहुंचाने का सफल अभ्यास किया गया। इस दौरान विमान का उपयोग कर भारी मशीन को जमीन पर सुरक्षित एयरड्रॉप किया गया। इसके लिए स्वदेश में विकसित प्लेटफार्म का उपयोग किया गया।

भारतीय वायु सेना ने इस जटिल अभ्यास के लिए मैकेनाइज्ड प्लेटफार्म (बीएमपी) को विमान से जमीन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। इसे एयरड्रॉप करने के लिए जिस बी आकार के 32 फीट लम्बे प्लेटफार्म को काम में लिया गया, वह भारत में निर्मित है। इसका परीक्षण भी सफलतापूर्वक साथ में कर लिया गया। इसमें 6 विशेष प्रकार के एयर बैग का उपयोग किया गया। सैन्य सुत्रों के मुताबिक, भारतीय सेना और हवाई डिलिवरी एवं विकास प्रतिष्ठान (एडीआरआई) ने सैन्य लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए यह संयुक्त परीक्षण किया। वायु सेना के सी-17 कालिबर ने महाजन के घोरों के बीच बनाए ड्रॉप दर्ज कर जांच शुरू की।

■ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफार्म का परीक्षण सफल, अब एयरड्रॉप करने की नहीं पड़ेगी जरूरत

जोन में बीएमपी (भारी मशीन) की डिलिवरी दी। इसके माध्यम से सेना ने हवाई गतिशीलता बेड़े की परिचालन क्षमता की ताकत को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया।

युद्ध के दौरान सेना के सामने पहाड़ी या रेगिस्तानी दुर्गम स्थल पर सैनिकों तक भारी सैन्य उपकरण आदि पहुंचाने की चुनौती होती है। ऐसे में वायु सेना के विमान की मदद से भारी उपकरणों आदि को एयरड्रॉप करने का विकल्प चुना जाता है। विमान से सीधे जमीन पर सामान गिराने पर उसके क्षतिग्रस्त होने, दुश्मन के हाथ लगने और सटीक लक्ष्य पर नहीं पहुंचने का खतरा रहता है। ऐसे में एयरड्रॉप तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

# तीन दिन बाद हुआ मृतक पोस्टमार्टम

झंजरपुर, (निर्स)। जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के सेरावाड़ा गांव में साली की शायी में ससुराल आये जीजा की मौत के तीसरे दिन शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। मौत को लेकर परिवारों के शक के चलते 3 दिन तक शव मार्चरी में पड़ा रहा। पुलिस के आशवासन के बाद परिवार राजी हुए। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के जगदीश पुत्र गौतम निवासी गरदुना तहसील देवाल ने रिपोर्ट में बताया कि वह थाना में आरा मशीन पर काम करता है। इस दौरान 26 अप्रैल को सुबह के समय पत्नी पार्वती ने फोन कर उसे बताया कि बेटा अशोक गमती सेरावाड़ा आर्माविद्या फला में अपने ससुराल गया था। ससुराल में साली की शायी होने की वजह से वह मेहमान आया था। पत्नी ने उसे बताया कि अशोक को कुछ हो गया है और उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। हॉस्पिटल में अशोक की मौत हो गई थी। बहु रेखा से मौत के कारणों को लेकर पूछने पर बताया कि घर के अंदर फॉसी का फटा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद शव को मुर्दाघर में रखवाया गया, लेकिन परिवार अशोक की मौत के कारणों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुए वहीं, पुलिस परिवारों से समाजशास्त्र के पर्यास करती रही। इसके बाद रविवार को तीसरे दिन परिवारों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया।

■ चार वर्ष के बालक की बीमारी के कारण मौत हो गई थी

■ माता-पिता के बीच विवाद से शव मुर्दाघर में पड़ा रहा

# चार दिन बाद बच्चे का शव मां ने लिया

झंजरपुर, (निर्स)। जिले की देवड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में माता-पिता के बीच विवाद के कारण चार वर्ष की बालक की बीमारी से मौत हो गई थी। करीब चार दिन बाद मां ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव लिया। सारी प्रक्रिया में चार दिन तक बच्चे का शव जिला अस्पताल मुर्दाघर में पड़ा रहा।

द्विंरा पत्नी कांतिलाल डेंडोर उम्र 33 साल अपने पिता के घर वरदा थाना क्षेत्र के अंतगत गांव तलेया डोजा में रहती थी। करीब आठ वर्ष पूर्व उसकी शादी मसानिया गांव के कांतिलाल पुत्र नाथु डेंडोर के साथ सामाजिक नियमों के अनुसार हुई थी। उससे एक पुत्र मौलिक डेंडोर का जन्म हुआ था। मौलिक को बचपन से ताण की बीमारी थी। इसी दौरान पिछले डेढ़ साल से इंदिरा का अपने पति कांतिलाल से कहासुनी में झगड़ा हो गया और दोनों में दूरी बढ़ गई थी। जिसके बाद से इंदिरा अपने पिता के घर तलेया डोजा में रहती थी। जहां पर उसके पिता का दस दिन पूर्व बीमारी के कारण निधन हो गया था। 25 अप्रैल को मौलिक डेंडोर उम्र चार साल रात को खाना खाने के बाद

घर के अंदर सोया था। तभी उसको अचानक ताण का दौरा पड़ा। इसके कारण इंदिरा उसे अपने भाई झुमकलाल के साथ अंतरी पीपलसी लेकर आई। जहां पर डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रैफर कर दिया। जिला अस्पताल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 25 अप्रैल से चार साल के मौलिक का शव मोर्चरी में पड़ा हुआ था। पिछले चार दिन से कोई भी शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए नहीं आ रहा था। रविवार को मां ने पुलिस में रिपोर्ट देते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने इंदिरा की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम कराकर उसकी मां को शव सुपुर्द कर दिया।

# कच्चे मकान में आग से घरेलू सामान सहित नकदी जली

## ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की

खेतड़ी, (निर्स)। खेतड़ी उपखंड की राजनोता ग्राम पंचायत के कुरंड गांव में रविवार दोपहर को एक कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। इस दौरान एक परिवार का घरेलू सामान, नकदी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है।

जानकारी के अनुसार कुरंड निवासी गुरुदयाल गुर्जर की आर्थिक स्थिति खराब होने पर वह मानोता कला रोड पर अपने परिवार के साथ खेत में कच्चा मकान बनाकर रहता था। गांव में रहने वाले उसके दो रोहिताश गुर्जर की बेटियों को शादी एक मई को होने वाली है, जिसकी लेकर वह अपनी पत्नी के साथ भाई के घर गया हुआ था। इस दौरान घर उसकी बेटी खुशी, मोनिका बेटा हिमांशु व अचानक ही थो। दोपहर करीब तीन बजे अचानक घर में धुआं उठने लगा तो बच्चों ने धुआं देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे



खेतड़ी के कुरंड गांव में कच्चे मकान में आग से घरेलू सामान जल गया।

तो कच्चे मकान में आग लग चुकी थी तथा हवा तेज होने के कारण आग गति पकड़ रही थी। घर में आग लगने की सूचना मकान मालिक को दी गई तो अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे तथा आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने काफी मशकत कर आग पर काबू पाया तब

तक मकान के अंदर रखा सामान जल चुका था। इस आग लगने से बीस हजार रुपए नकद, कपड़े, गहने, घरेलू सामान जलकर राख हो गए। इस दौरान आग लगने के कारणों का पता नहीं आया। आग लगने से गुरुदयाल के परिवार के पास अब पहनने के कपड़े भी नहीं बचे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुदयाल के

घर की हालत काफी दयनीय है तथा वह बकरी पालन कर परिवार का पालन-पोषण करता है। आग लगने से हुई घटना से उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में अब प्रशासन को प्रभावी कदम उठाने हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया करवानी चाहिए।